

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :- अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :- 84/16/17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधर पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गोरेन्द्र कुंठ गारुडी वो अंचल निरीक्षक श्री राधेश्यां यादव का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा कुसुथा थाना नं0 692 गैरमजरुआ खाता नं0 24/16 दाग नं0 32 रकवा 01-08-16 किस्म फली कृषि श्री गुगला रविदास पिता साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री गुगला रविदास को दिनांक 20/5/16 समय 11:00 AM पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

राधा

अंचल अधिकारी,
महागामा।

20/5/16

अभिलेख उपस्थापित। गुगला रविदास की पत्नी श्रीमती देवी प्रिया शिबु रविदास उपस्थित। उन्होंने 2.5.16 के पत्रांक पर जाँच प्रतिवेदन की हलाकत समर्पित किया है। उन्होंने जाँच प्रतिवेदन में संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज समर्पित किया गया है उन्होंने उगाच वि. संपुरा मुनि 2.5.16 द्वारा अध्यादेश किया गया है उक्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाग है कि प्रस्तावित मुनि का जाँच सत्यापन का अगावी मुनि के उक्त प्रतिवेदन समर्पित करें। अभिलेख दिनांक 20/5/16 को रखें।

sandha

राधा

20/5/16

राधा देवी

11/8/16

आमलेख उपस्थापित। श्रीजा डेवी उपस्थित। वस्तावेज समाप्त।
आमलेख दिनांक 21/8/16 को रखा।

11/8/16
31031

श्रीजा देवी

3/11/2020

आमलेख उपस्थापित।
नोटिस निर्गत करें।

मं० मं०
महागमा


आमलेख उपस्थापित।


05.01.2021

राज उपनिरीक्षक-सह-प्रभाषी अंचल निरीक्षक
महागमा से प्रसंगत श्रीम का भौतिक प्रतिवेदन के साथ
आमलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका आवलोकन
किया प्रतिवेदनानुसार अवेध सैंट्रोलरूप पंजी-II रैयत
का श्रीम सहाम पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में
ठकत श्रीम ई० सी० स्थल ECL क्षेत्र के अधिग्रहण
क्षेत्र के अंतर्गत है।

अंक. अ. उपरोक्त के आलोक में आमलेख
की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

देखापित


अंचल अधिकारी
महागमा


अंचल अधिकारी
महागमा